RAJYA SABHA

Tuesday, the 13th July, 2004/22 Asadha, 1926 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the chair.

RE. SUSPENSION OF QUESTION HOUR

MR. CHAIRMAN: Question No. 101. Shrimati N.P. Durga. (*Interruptions*) Shri Jaswant Singh.

विपक्ष के नेता (श्री जसवंत सिंह): सभापति महोदय, मैं बहुत ही संकोच से यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे खेद है कि यह विषय मुझे प्रश्नकाल के दौरान उठाना पड़ रहा है। मेरा संसदीय जीवन आज 7 टर्म्स का हो चुका है। जीवन में शायद पहली बार मैं संसद में प्रश्नकाल के स्थगन का प्रस्ताव लेकर आया हूं। प्रश्नकाल के स्थगन का प्रस्ताव मैं क्यों लेकर आया हूं, आवश्यक है कि मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे इस बारे में अर्ज़ कर दूं। मुझे बहुत ही संकोच और खेद है। मैं जो भी कहूंगा, उसमें मुझे किसी अन्य राज्य या किसी दल के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं राज्यों के जो अधिकार हैं, उनको समझता हूं और मैं राजनीतिक दलों की मान्यताओं को भी समझता हूं। परन्तु कल दोपहर बाद जो पंजाब विधानसभा में हुआ है और जिस प्रकार का बिल वहां पारित हुआ है, उससे हमारी राज्य सभा इसलिए सीधी प्रभावित होती है क्योंकि यह काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। मैं प्रश्नकाल के दौरान इस विषय को नहीं उठाता, यदि यह पानी से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता। अपने आप में इसके कई पहलू हैं। मैं सारे पहलुओं में नहीं जाना चाहूंगा। जितना इस विषय का आपका अध्ययन है, रिवर वॉटर्स के बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्रश्नकाल का स्थगन क्यों मांग रहा हूं।

सभापति महोदय, इस विषय पर बाद में भी चर्चा हो सकती थी लेकिन मैं प्रश्नकाल का स्थगन इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। मैं उसका विश्लेषण नहीं करूंगा। इसके साथ ही हमारी जो संघीय प्रणाली है, उस पर भी प्रश्नचिह्न लगे हैं। इसके कारण अंतर्राज्यीय प्रश्न तो खड़े होते ही हैं। मैं एक राज्य का प्रतिनिधित्व अवश्य करता हूं, परन्तु आज मैं यहां जो बात रख रहा हूं, वह केवल राजस्थान को ध्यान में रखकर नहीं रख रहा हूं। वास्तव में इससे हरियाणा भी प्रभावित होता है, दिल्ली के अधिकार भी प्रभावित होते हैं, हिमाचल भी इससे प्रभावित होता है।

सभापति महोदय, पंजाब को समुचित रूप में जल मिले, इससे किसी को कोई शिकायत नहीं है। पंजाब को जल मिलना चाहिए और जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़े, उसके मुताबिक जल की मात्रा भी बढ़नी चाहिए, इसमें भी किसी को कोई शिकायत नहीं है। इसके साथ-साथ हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इसके अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी हैं क्योंकि जब हम इस प्रकार से उन सारे प्रश्नों को पुन: खोलेंगे—river basin या Riparian Rights *vs.* River Basin, तो हम समूची Indus Water Treaty का जो बेसिस है, उसको खोल रहे हैं। यहां हम यह खोलेंगे तो ''फरक्का'' का क्या होगा? अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो ''ब्रह्मपुत्र'' का क्या होगा? इसलिए बहुत जरूरी है कि इस पर विचार हो। मैं संकोच से कहता हूं कि इसके सामाजिक पहलू हैं, राजनीतिक पहलू भी हैं। मैं राजनीतिक पहलुओं को उतना महत्व नहीं देता, जितना कानूनी पहलुओं को। इसलिए आवश्यक है कि हम प्रश्नकाल को स्थगित करें, इस विषय पर चर्चा करें और सरकार इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

सभापति महोदय, 15 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक करार शायद लागू हो रहा है, जिसके तहत सी॰पी॰डब्ल्यू॰डी॰ को वहां काम शुरू करना था। पंजाब सरकार ने कल जो बिल पास किया है, उसमें एक प्रोविजन दिया है-पानी पर संपूर्ण प्रभुत्व का। सोच लीजिए। पंजाब अपने राज्य में क्या करे, वहां की सरकार क्या करे उस पर मुझे टिप्पणी करने का यहां अधिकार नहीं है। परन्तु कोई राज्य, संघीय व्यवस्था रहते हुए, आज तो पानी पर पंजाब कह रहा है कि हमारा सम्पूर्ण प्रभुत्व है, ईश्वर न करे, हमको कोई ऐसा दिन देखना पड़े जबकि अन्य राज्य भी ऐसा ही करें। अंतर्राज्यीय पानी के मसले कितने विकट हैं, यह मुझे आपसे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं। कल ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा राज्य आ करके कहे कि पानी ही नहीं, यहां जो दूसरे अन्य खदान पदार्थ हैं, उन पर भी हमारा सम्पूर्ण प्रभुत्व है। दूसरा, यह 15 तारीख को लागू होना था। अब सारे करार, चाहे वह सन् 1981 का हो, चाहे 1985 का हो, मैं सब की गिनती नहीं करता, वे सब नकारे जाते हैं। इससे एक बहुत अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हुई है। सभापति महोदय, आपका जितना इस विषय पर अध्ययन है, उसकी मुझे जानकारी है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उस पर कहना नहीं चाहता, लेकिन आवश्यक है कि एक तो केन्द्र सरकार, जो स्थिति है उसके यथार्थ तथ्यों और केन्द्र सरकार अपने रवैये को स्पष्ट करे। दूसरा, मैं सोचता हूं कि पंजाब के गवर्नर साहब इसको अधिनियम न बनने दें। इसी प्रकार केन्द्र सरकार दखल दे करके इसको अधिनियम बनने से रोके। आगे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, उसके लिए केन्द्र कुछ पहले करे तो अच्छा होगा। सभापति महोदय, प्रश्नकाल को ही रोक करके हाउस में या सदन में, कोई व्यवधान पैदा करने में मेरी कोई रुचि नहीं है, परन्तु यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसे मैं नहीं उठाता तो ऐसा प्रतीत होता शायद मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। इसलिए अच्छा यह होगा कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे और उस पर हम बहस करें।

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी) : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के आदरणीय नेता श्री जसवन्त सिंह जी ने जो चिंता जताई है, उस पर भारत सरकार की तरफ से, मेरे मंत्रालय की तरफ से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, मेरा मंत्रालय, उनके जो-जो डायरेक्शन थे, उनको करीब-करीब सब कुछ हम लोग पारित कर चुके हैं। In fact, we have also identified the agency, constituted the empowered committee, and notified the whole thing. Meanwhile यह घटनाकाल घट गया है। इसके बारे में पूरी तरह से हर पहलू की हम लोग परीक्षा कर रहे हैं, एक्जामिन कर रहे हैं और इसके बाद ही हम लोग कोई अंतिम फैसला सुनाएंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल) : सर, यह कैसे कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं और अभी जो नेता विपक्ष ने आपके सामने बात रखी और जितनी वेदना से रखी और सभापति महोदय, आप स्वयं इस वेदना को भोग रहे हैं। हम लोग यह कहना चाहते हैं और हमने बताया कि 15 तारीख को वह करार लागू होना है जो सर्वोच्च न्यायालय का है और उन्होंने बिल पारित कर दिया और वह बिल पारित करके कह दिया कि पुराने सारे समझौते रद्द हुए। इसलिए तब तक कम से कम इतना आश्वासन तो दें कि वे गवर्नर से यह कहेंगे कि वे इस बिल को एसेंट न दें। अगर इतना भर आश्वासन आता है तो हम लोगों को यह लगेगा कि चलिए गवर्नर के माध्यम से बिल का एसेंट रोक दिया गया है। अगर गवर्नर भी एसेंट दे देते हैं तो यह बिल लागू हो जाएगा। तब हम इनके आश्वासन का क्या करेंगे यदि ये शाम तक आएंगे या परसों आएंगे। इसलिए आप यह आश्वासन दीजिए कि आप गवर्नर से उस बिल का एसेंट रुकवाएंगे ताकि हम लोगों को यह लगे कि आपके पास कोई ब्रिदिंग टाइम आ गया है मामले को सुलटाने का वरना तो ब्रीदिंग टाइम ही नहीं है, अगर गवर्नर एसेंट दे देता है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सुषमा जी खुद मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं। जो घटनाकाल घटा इसमें कानूनी आवाज भी है, कानूनी सवाल भी है, संविधान के मुद्दे भी हैं। हर पहलू में हम लोग एक्जामिन कर रहे हैं। इस से ज्यादा इस वक्त हम क्या कह सकते हैं और मैं खुद संविधान के तौर से भारत सरकार, एक sovereign असेंबली में कोई कानून अगर पारित हो, उसमें खुद ऊपर से डायरेक्शन नहीं दे सकती, ऐसी परम्परा है। लेकिन लीगल इम्पेक्ट के बारे में हम लोग एक्जामिन कर रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, एक्जामिन कब तक? ...(व्यवधान)... सर, एक्जामिन कर रहे हैं, यह कोई आश्वासन नहीं है। ...(व्यवधान)... सर, एक्जामिन कर रहे हैं, यह कोई आश्वासन नहीं है। ...(व्यवधान)... एक्जामिन तो तीन दिन भी करेंगे, एक्जामिन तो पांच दिन भी करेंगे। ...(व्यवधान)...

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, एक्जामिन करने का क्या अर्थ है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट, एक मिनट। ...(व्यवधान)... एक बात बता दीजिए कि आपके एक्जामिन के पहले इस बिल पर गवर्नर का एप्रूवल होगा या नहीं होगा? ...(व्यवधान)...

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: सभापति महोदय, मैंने सदन में आने से पहले इसके बारे में तुरंत सुबह 6 बजे से पता लगाया। खुद प्रधान मंत्री जी, कानून मंत्री जी और मैंने इसके बारे में विचार-विमर्श किया। इसमें जो कानूनी पहलू है, उसे हम देख रहे हैं, लेकिन Informally I am telling. I am not officially confirming because I have to ascertain from the Law Ministry. इन्फारमली मुझे जो सूचना सुबह मिली है, उसमें एसैंट राज्यपाल जी दे चुके हैं और मैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट, उन्हें बोलने दीजिए।...(व्यवधान)...

SHRI SWARAJ KAUSHAL (Haryana): The Government has absolutely done nothing about it. ...(व्यवधान)... सर, सरकार ने गवर्नर से कोई सम्पर्क नहीं किया है। ...(व्यवधान)...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): It has got implications throughout the country. ...(*Interruptions*)... It is not a question of Punjab and Haryana alone. ...(*Interruptions*)... How can a State unilaterally do so? ...(*Interruptions*)...

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: इसलिए सभापति महोदय, ...(व्यवधान)... मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह कहा कि हम हर पहलू को एक्जामिन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप वापस जाइये। ...(व्यवधान)... एक मिनट। आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप एक बार जाकर बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठिये तो सही। आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप मेरी एक बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)... आप मुझे बोलने तो दीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir please adjourn the House. (*Interruptions*)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at sixteen minutes past eleven of the clock.
The House reassembled at twelve of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Report on Cessna aircraft crash

*101. SHRIMATI N.P. DURGA: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether the Directorate General of Civil Aviation has completed its probe into the recent crash of Cessna aircraft in which actress Ms. Soundarya was killed;

(b) if so, whether the DGCA has submitted its report;

(c) if so, what is the outcome of the report; and

(d) what action Government have taken or propose to take against the culprits?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI PRAFUL PATEL): (a) to (c) The Inspector of Accident, appointed under Rule 71 of the Aircraft Rules, 1937, to investigate into the accident to Cessna aircraft VT-EQU of M/s Agni Aero Sports Adventure Academy, Bangalore, is yet to submit his report.

(d) Suitable action would be taken on the basis of the recommendations made in the investigation report.

Development of Khajuraho Airport

†*102. SHRI P. K. MAHESHWARI: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that land is being acquired free of cost from the Government of Madhya Pradesh for the development of Khajuraho Airport;

† Original notice of the question was received in Hindi.